

संख्या : **2496**/2307/आ.ब.-1-निदेशक/2025 दिनांक : 04 जुलाई, 2025

सेवा में,

- | | |
|---|--|
| 1. आवास आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश। | 2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश। |
| 3. अध्यक्ष,
समस्त वि०क्षे० वि०प्रा०,
उत्तर प्रदेश। | 4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश। |

विषय: प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियन्त्रणाधीन विभिन्न अभिकरणों के कार्य कलापों की मासिक समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आवास बन्धु कार्यालय के पत्र संख्या संख्या-2461/2307/आ.ब.-1-निदेशक/2025 दिनांक 30.06.2025 को संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन के नियन्त्रणाधीन विभिन्न अभिकरणों के कार्य कलापों की मासिक समीक्षा बैठक 08.07.2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के लखनऊ मुख्यालय स्थित सभागार में आयोजित किया की गई है। अपरिहार्य कारणोंवश उक्त बैठक अब दिनांक 10.07.2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे 'मार्स सभागार', इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में आयोजित होगी।

उक्त बैठक में नियमित एजेण्डा के साथ-साथ "उ.प्र. विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025" के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की जायेगी। प्रमुख सचिव महोदय द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि उक्त बैठक में प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों के साथ-साथ भवन मानचित्र स्वीकृति के कार्य को सम्पादित कर रहे नगर नियोजन/अभियन्त्रण सम्वर्ग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा अधिकतम 02 भिन्न अवर अभिन्यताओं द्वारा भी अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि कृपया अपने अभिकरण से सम्बन्धित कार्यकलापों की पूर्ण प्रगति से भिन्न होकर सुसंगत एवं अद्यतन प्रगति के साथ उक्त बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ ससमय अनिवार्य रूप से स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रवि जैन)

निदेशक

आवास बन्धु, उ०प्र०।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
2. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/अनुभाग अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।

3. निदेशक, सूडा, उ0प्र0 को इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से सम्बन्धित सुसंगत सूचनाओं सहित बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
4. उपाध्यक्ष/सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ, को इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया उक्त बैठक हेतु इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स सभागार को आरक्षित करने, जलपान तथा लंच की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।


(रवि जैन)
निदेशक

संख्या : **2496** /2307 /आ.ब.-1-निदेशक /2025 दिनांक : 04 जुलाई, 2025

सेवा में,

- | | |
|---|--|
| 1. आवास आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश। | 2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश। |
| 3. अध्यक्ष,
समस्त वि०क्षे० वि०प्रा०,
उत्तर प्रदेश। | 4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश। |

विषय: प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियन्त्रणाधीन विभिन्न अभिकरणों के कार्य कलापों की मासिक समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आवास बन्धु कार्यालय के पत्र संख्या संख्या-2461/2307/आ.ब.-1-निदेशक/2025 दिनांक 30.06.2025 को संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन के नियन्त्रणाधीन विभिन्न अभिकरणों के कार्य कलापों की मासिक समीक्षा बैठक 08.07.2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के लखनऊ मुख्यालय स्थित सभागार में आयोजित किया की गई है। अपरिहार्य कारणोवश उक्त बैठक अब दिनांक 10.07.2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे 'मार्स सभागार', इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में आयोजित होगी।

उक्त बैठक में नियमित एजेण्डा के साथ-साथ "उ.प्र. विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025" के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की जायेगी। प्रमुख सचिव महोदय द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि उक्त बैठक में प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों के साथ-साथ भवन मानचित्र स्वीकृति के कार्य को सम्पादित कर रहे नगर नियोजन/अभियन्त्रण सम्वर्ग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा अधिकतम 02 भिन्न अवर अभिन्यताओं द्वारा भी अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि कृपया अपने अभिकरण से सम्बन्धित कार्यकलापों की पूर्ण प्रगति से भिन्न होकर सुसंगत एवं अद्यतन प्रगति के साथ उक्त बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ ससमय अनिवार्य रूप से स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रवि जैन)

निदेशक

आवास बन्धु, उ०प्र०।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
2. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/अनुभाग अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।

3. निदेशक, सूडा, उ0प्र0 को इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से सम्बन्धित सुसंगत सूचनाओं सहित बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
4. उपाध्यक्ष/सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ, को इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया उक्त बैठक हेतु इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स सभागार को आरक्षित करने, जलपान तथा लंच की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।



(रवि जैन)
निदेशक